

**ग्राम पंचायत टकोली घिरथा, विकास खंड फतेहपुर, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के
लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन**

अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018

भाग-एक

1 (क) प्रस्तावना

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 118 में होने व संयुक्त निदेशक एवं उप-सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक-07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत टकोली घिरथा, विकास खंड फतेहपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.15 से 31.03.18 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018 तक के दौरान ग्राम पंचायत टकोली घिरथा में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान:-

क्रम सं०	नाम	अवधि
1	श्रीमति रक्षा देवी	01/04/2015 से 22/01/2016
2.	श्रीमती परमजीत कौर	23/01/2016 से 31/03/2018

सचिव :-

क्रम सं०	नाम	अवधि
1	श्री जीवन कुमार	01/04/2015 से 31/03/2018 तक

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

ग्राम पंचायत टकोली घिरथा जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्रमांक	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5	रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करने के कारण रोकड़ बही तथा बैंक खातों में अन्तर	0.56
2	7	पंचायत राजस्व की बकाया राशि वसूली हेतु शेष	0.14

3	9	अनुदान राशियों का अवरोधन	16.43
4	10	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय	1.88

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत टकोली घिरथा, विकास खंड फतेहपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री केवल सिंह अनुभाग अधिकारी तथा श्री पवन कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 21-04-18 से 25-04-18 तक ग्राम पंचायत टकोली घिरथा के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिये क्रमशः 10/2015, 03/2017, 06/2017 व 12/2015, 08/2016, 06/2017 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के निरीक्षण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत टकोली घिरथा विकास खण्ड फतेहपुर जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018 तक के लेखाओं का शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि० प्र० शिमला-09 को शीघ्रअतिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अध्याचना संख्या-107 दिनांक-25-04-18 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत टकोली घिरथा से अनुरोध किया गया।

4. वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत टकोली घिरथा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018 के लेखाओं स्वःस्रोत व अनुदान की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट 1 व 2 में भी दिया गया है:-

(i) स्व-स्त्रोत

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2015-16	356019	273019	629038	426850	202188
2016-17	202188	74893	277081	228538	48543
2017-18	48543	356265	404808	321171	83637

(ii) अनुदान

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2015-16	356443	1702545	2058988	1271098	787890
2016-17	787890	3135436	3923326	2533764	1389562
2017-18	1389562	3565016	4954578	3311387	1643191

कुल योग (1 + 2) = 1726828

दिनांक 31.03.2018 को ग्राम पंचायत टकोली घिरथा द्वारा बैंक में जमा हस्तगत राशि का

विवरण :-

क्रम सं०	अनुदान का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि (₹)
1	RAY	50051795618	KCCB	186
			BHARMAR	
2	Z.P.	50051795607	KCCB	13510
			BHARMAR	
3	VKVNY	50051795266	KCCB	261
			BHARMAR	
5	MPLAD	50051795641	KCCB	29817
			BHARMAR	
6	WATER SHED	33255568241	SBI REHAN	32
7	PANCHYATI SAMTI	33255581658	SBI REHAN	27714
8	PMKSY	50064107153	KCCB	91
			BHARMAR	
9	TSC	20028012948	KCCB	26357
			FATEHPUR	
10	14th FC	50051795426	KCCB	1584168
			BHARMAR	
11	3rd State	50051795404	KCCB	16346
			BHARMAR	
12	S Fund	20028012824	KCCB	80802
			FATEHPUR	
13	Public Share	50051795459	KCCB	3833
			BHARMAR	
	CASH IN HAND			20
	TOTAL			1783137

रोकड़ बही/ वित्तीय स्थिति व बैंक खातों के अन्तर्शेष में अन्तर:-

₹1726828 - ₹1783137 = ₹56309

5 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में ₹0.56 लाख का अन्तर:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत टकोली घिरथा द्वारा हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी, जिसके कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-18 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में ₹56309 का अन्तर रोकड़बही में कम शेष के रूप में पाया गया जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा संख्या 4 में दिया गया है ।

अतः इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे तथा अन्तर की राशि का अति शीघ्र मिलान किया जाये व अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान किया जाए ।

6 रोकड़ बही का नियमानुसार रख-रखाव करना:-

लेखांकन के सामान्य तथा प्रचलित नियमों के अनुसार रोकड़ बही में प्रतिदिन हुए लेन देन की प्रविष्टियों उपरान्त अन्तशेष निकालना आवश्यक है तथा मासान्त व वर्षान्त में उपलब्ध हस्तगत शेष तथा बैंक शेष का विवरण हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(2 व 3) के अनुसार भी पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत टकोली घिरथा में रोकड़ बही के रखरखाव में इन नियमों की अनुपालना नहीं की गई थी। अतः नियमों के विरुद्ध अपनाई गई इस कार्यविधि बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए ।

7 गृहकर ₹0.14 लाख वसूली हेतु शेष:-

पंचायत की स्व-स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बंधित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31-03-18 को गृहकर ₹14135/- की वसूली शेष थी, जिसकी अतिशीघ्र वसूली की जाए:-

क्र० स०	वर्ष	अथशेष	परिवारों की संख्या	दर प्रति /परिवार	माँग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
1	2015-16	23825	588	25,30,35	17655	41480	3105	38375
2	2016-17	38375	603	25,30,35	18370	56745	40925	15820
3	2017-18	15820	614	25,30,35	18710	34530	20395	14135

8 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करना:—

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप-11 में पंचायत के आय तथा व्यय के प्राक्कलन को तैयार करके ग्राम सभा में पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

9 अनुदान ₹16.43 लाख का अवरोधन :-

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट 1 व 2** पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-3-18 तक अनुदान से प्राप्त राशियों में से **₹1643191** उपयोग हेतु शेष थी। दिनांक 31.3.16 को शेष **₹787890** से बढ़कर दिनांक 31.3.18 तक यह बढ़कर **₹1643191** हो गई थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था। जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

10 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹1.88 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:—

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर क्रय करने की औपचारिकताएँ प्रावधित हैं। चयनित मास के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-3** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा **₹187528** का स्टॉक औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना किया गया जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ लिया जा सके। इसके अतिरिक्त उक्त क्रय किए गए स्टॉक/स्टोर का

स्टाक रजिस्टर में इन्द्राज करना व उपयोग लेखा तैयार किया जाना भी सुनिश्चित किया जाये।

11 विहित रजिस्ट्रों का रख-रखाव न करना:—

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था जो कि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्ट्रों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अभिलेखों का विवरण निम्न प्रकार से है :—

- 1 चल व अचल सम्पत्ति रजिस्टर
- 2 जल प्रभार रजिस्टर
- 3 भवनों व दुकानों के किराए से सम्बन्धित रजिस्टर
- 4 अन्य स्रोतों से प्राप्त आय का रजिस्टर
- 5 अनुदान प्राप्ति से सम्बन्धित रजिस्टर
- 6 डाक टिकट रजिस्टर
- 7 निर्माण कार्यों का रजिस्टर
- 8 वर्गीकृत सार

12 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:—

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित था। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार न तो स्थाई या अस्थायी भण्डार का पुस्तकों में इन्द्राज किया गया था और न ही सत्यापन किया गया था जिसके बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अवगत करवाया जाए।

13 विविध अनियमितताये:-

(क) ग्राम पंचायत द्वारा कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अंतर्गत अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है, जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही है।

(ख) निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार आयकर, बिक्रीकर, लेबर सेस तथा रायल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की जा रही है।

(ग) ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत सदस्यों को प्रत्येक बैठक में भाग लेने हेतु हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 62(1) के अंतर्गत

बैठक फीस का भुगतान किया जाता है। ग्राम पंचायत में इस फीस के भुगतान से सम्बन्धित बिलों की जांच में पाया गया कि यह भुगतान पंचायत सदस्यों के बैठक में भाग लेने से संबंधित अभिलेख अथवा हाजिरी रजिस्टर विवरण के बिना ही कर दिया गया था। अतः इस बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में इसमें सुधार लाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

14 लघु आपत्ति विवरणिका:- लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है।

15 निष्कर्ष:- लेखों में बहुत सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता / -
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं० 0177-2620881

पृष्ठांकन संख्या:- फिन (एल०ए०) एच (पंच) (15)(2)206 / 2018 खण्ड-1-6141-6144 दिनांक-15.09.2018 शिमला-09

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- पंजीकृत
- 1 सचिव, ग्राम पंचायत टकोली धिरथा, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
 - 2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
 - 3 जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि०प्र०
 - 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला कांगड़ा हि०प्र०

हस्ता / -
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं० 0177-2620881

